न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 17 / 2022
दायर दिनांक : 06 / 04 / 2022
निर्णय दिनांक : 09 / 11 / 2022

उनवान

1. भंवरदास पिता उदेरामदास बैरागी निवासी खेड़ी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. शम्भूदास पिता उदेरामदास बैरागी निवासी खेड़ी तहसील भूपालसागर
2. मोहनलाल पिता नाथूलाल जाट निवासी खेड़ी तहसील भूपालसागर
3. भूमिधारी, उपपंजीयक एवं तहसीलदार, भूपालसागर
4. पटवारी, पटवार हल्का, फलासिया तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल
2. श्री रामलाल गुर्जर

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खेड़ी पटवार हल्का फलासिया तहसील भूपालसागर में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी संख्या 120 में दर्ज आराजी सं. 495 रकबा 1.41 है. में प्रार्थी का 2 / 15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात में अप्रार्थी सं. 1 शम्भूदास का 1 / 15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 शम्भूदास मुझ प्रार्थी का बड़ा भाई होकर हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। आराजियात पर मुझ प्रार्थी का कब्जा होकर मैं ही काश्त कर रहा हूं। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में अप्रार्थी संख्या 1 शम्भूदास को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र की कॉल संख्या 2 में वर्णित अपने 1 / 15 हक हिससे की आराजियात को दो वर्ष पूर्व 2,00,000 / रूपये में मुझ प्रार्थी को विक्रय कर कब्जा मुझ प्रार्थी के सिपूर्द कर दिया था। तब से मैं प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहा हूं। मैं प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 एक ही पिता की सन्तान होकर भाई हैं, हमारे बीच खून का रिश्ता है। इस कारण विश्वास से बिना लिखा–पढी के गांव के पांच मौतबीरों के सामने रूपये दिये व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की आराजियात पर कब्जा प्रापत कर काश्त करता चला आ रहा हूं लेकिन अप्रार्थी सं. 1 दूसरों के सिखावे में आकर पूर्व विक्रयशुदा आराजियात का चोरी छिपे बगैर मुझ प्रार्थी की जानकारी के दबारा विक्रय अप्रार्थी सं. 2 मोहनलाल के पक्ष में कर दिया है। बाद विक्रय पटवार हल्का [illegible] रा नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 15.03.2022 भर कर प्रकियाधीन है, जिसे तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर मुझ प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी [illegible] है। प्रार्थना पत्र में कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात पुश्तैनी है। अप्रार्थी सं. 1 मुझ प्रार्थी का बड़ा भाई है। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, इस कारण भी प्रथम अधिकार मुझ प्रार्थी का ही बनता है। मुझ प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय की तय राशि 2,00,000 / रूपये अदा कर दी है। शेष कोई राशि बकाया नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने बोगस विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंजीयन करवा दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.29 11:40:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिसके अनुसार नामान्तरण प्रकियाधीन है, जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी परन्तु जारी नहीं होने पर प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील अप्रार्थी ने वकालतनाम मय जवाब दिनांक 12.07.2022 को पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2 में वर्णित आराजियात एवं संयुक्त खातेदार होना स्वीकार है बाकी ईबारत गलत होने से अस्वीकार है। उक्त आराजियात पर 1/15 हिस्से पर मुझ अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा होकर मैं ही काश्त करता चला आ रहा हूं तथा रिकार्डेड खातेदार हूं। कॉलम सं. 3 गलत होने स अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजी पूर्व में प्रार्थी को विक्रय नहीं की तथा मुझ अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजी पूर्व में प्रार्थी को विक्रय नहीं की तथा आराजियात पर मेरा ही कब्जा है तथा मैने प्रार्थी सं उक्त आराजी पेटे कभी भी रूपये प्राप्त नहीं किये तथा मुझ अप्रार्थी को रूपयों की आवश्यकता होने से मैने मेरे हिस्से की आराजियात अप्रार्थी सं. 2 दो को विक्रय कर दी है तथा मुझ प्रार्थी ने मेरे नाम पर दर्ज आराजियात खाता सं. 120 खसरा सं. 495 रकबा 1.40 है. में से मेरा हिस्सा 1/15 अप्रार्थी सं. 2 को विक्रय कर दिया है, जो सही है। उक्त आराजियात को विक्रय करने का मुझ अप्रार्थी सं. 1 को पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है, जिससे मेरे को उक्त आराजियात को विक्रय करने से रोकने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है केवल मात्र मुझ अप्रार्थी सं. 1 की आराजियात को हडपने की नियत से एवं अप्रार्थी सं. 2 को परेशान करने की नियत यह झूठा मनगढन्त तथ्यों पर आधारित यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉल सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त आराजियात पेटे मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी से कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं की न ही कोई विक्रय लिखापढी की मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 को विक्रय कर दी, जो सही है। इस कारण आदेशात्मक आज्ञा की डिकी हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी फरमाई जाना न्यायोचित नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में बनती है। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रस्तुत जवाब एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है, न ही कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.29 11:40:14 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर